कार्यालय, वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रॉक – 1969 /14-1 मुरादाबाद, दिनांक, 23 –01–2019.

सेवा में

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बिजनौर।

विषयः– जनपद बिजनौर में बिजनौर–हरिद्वार मार्ग कि0मी0 21 की दाँयी पटरी ग्राम खुडाहेरी के खसरा संख्या–181 पर हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा विकसित किये जा रहे पेट्रोल/डीजल पम्प (रिटेल आउटलेट) पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.078764 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भः– आपकी पत्र सं0–5189/14–1 दिनांक 14.01.2019।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त विषयक प्रस्ताव की प्रारम्भिक जाँच में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी है, जिनका निराकरण आवश्यक है।

अतः विषयक प्रस्ताव मूल 3 प्रतियो में निम्नलिखित कमियो के निराकरण हेतु वापस किया जाता हैः–

1– आनलाईन पार्ट–1 के बिन्दु 3 ई के II,III में अंकित विवरण त्रुटिपूर्ण है।
2– आनलाईन पार्ट–2 का बिन्दु सं0–14 अपूर्ण है।
3– प्रस्ताव में पेज सं0 अंकित नही की गई है। विषय सूची के अनुसार पेज सं0 अंकित करें।
4– टोपो सीट और जियोरेफरेंस मैप में खसरा सं0–647 और गाटा सं0–181 अंकित है। पार्ट–1 से चैक कर सही विवरण अंकित करे।
5– फोटो की प्रति ए–4 साइज के पेपर पर योजना का टाईटल अंकित करते हुए चस्पा करें।
6– जस्टिफिकेशन में गाटा सं0–181 एवं खसरा सं0–647 अंकित है। जबकि पार्ट–1 में खसरा सं0–181 अंकित है। पुनः जांच कर सही विवरण अंकित करें तथा क्षेत्रफल में कटिंग को प्रमाणित करें।
7– संरक्षित वन क्षेत्र के केलकुलेशन में प्रवेश एवं निकास में कर्व के सम्मुख 274.66 वर्ग मी0 अंकित करने का क्या औचित्य है। स्थिति स्पष्ट करें।
8– संयुक्त निरीक्षण आख्या में खसरा सं0–181 अंकित है। जबकि संलग्न खसरा खतौनी में खसरा सं0–647 अंकित है। विवरण सही अंकित करें।
9– प्रस्ताव में संलग्न पावर ऑफ अटारनी में संजय नागपाल को प्राधिकृत नहीं किया प्रतीत होता है। पुनः चैक कर सही करायें।
10– प्रस्ताव में संलग्न क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राकलन में खसरा सं0 सही अंकित करें।
11– सी0ए0 हेतु संलग्न जियोरेफरेंस और टोपो सीट मैप के टाईटल में खसरा सं0–181 एवं मार्ग की बांयी पटरी अंकित है। पुनः चैक कर सही अंकित करें।
12– लेण्ड सुटेबिलिटी सार्टिफिकेट, मक डिस्पोजल अन्डरटेकिंग सार्टिफिकेट, गैर वन भूमि क्षेत्र की गणना, प्रभागीय निदेशक की निरीक्षण रिपोर्ट, वन स्वरूप सम्बन्धी प्रमाण पत्र, वन्य जीव विहार सम्बन्धी प्रमाण पत्र, एफ0आर0ए प्रमाण पत्र, एस0पी0डब्लू0डी0 प्रमाण पत्र, एन0पी0वी0 गणना, कार्य प्रारम्भ न करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं न्यूनतम भूमि सम्बन्धी प्रमाण पत्र में खसरा सं0–647 एवं गाटा सं0–181 अंकित है। जबकि पार्ट–1 में खसरा सं0–181 अंकित है। पुनः जांच कर सही विवरण अंकित करें।

संलग्नक–यथोपरिः–

भवदीय,

(आर0 पी0 वर्मा)
वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।